न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 35/2019

अपीलांट–

शामाराम पुत्र चिमाराम जाति मेगवाल निवासी इन्द्रानगर ग्राम पंचायत सरणू तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. प्रहलादराम पुत्र चिमाराम
3. कंवराराम पुत्र खेराजराम
4. मोमताराम पुत्र खेराजराम
5. चेनाराम पुत्र खेराजराम
6. अणसीदेवी पत्नी खेराजराम जाति मेघवाल निवासी सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : 971–73 दिनांक 16.06.2015 जो अपीलांट व उत्तरदाता सं. 2 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनिल के. मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2व6 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2020

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा इन्द्रा नगर के खेत खसरा नम्बर 269, 401/270, 406/282, 438/282 रकबा क्रमशः 00–06, 03–06, 01–06 व 05–14 बीघा कुल रकबा 10–12 बीघा भूमि खातेदारान शामा, प्रहलाद, पि0 चिमा, कंवरा, मोमता, चेनाराम पि0 खेराजराम, अणछी पत्नी खेराजराम कौम मेघवाल ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.20 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी सरणू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। विभाजन इकरारनामा में वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है एवं कोई विवाद नही हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक : 971–973 दिनांक 16.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्तागण एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

करवाना तय किया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2से6 ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया तथा हल्का पटवारी पर विश्वास कर उसके द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपीलांट व उत्तरदातागण के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया हैं न ही कब्जा अनुसार है। विवादित आराजी अपीलांट की कब्जे काश्त की पैतृक भूमि थी किन्तु रेस्पोडेंट सं. 2से6 ने अपीलांट के साथ छल व धोखा करते हुए पेंशन दिलवाने के मिथ्या कथन कर अपीलांट के विश्वास को छलते हुए अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि का गलत बंटवाड़ा कर उसमें तीन हिस्से कर दिये। विवादित आराजी खेत खसरा नम्बर 401/270 पर अपीलांट के बड़े पुत्र बींजाराम व पेमाराम की रहवासीय ढाणियां बनी हुई हैं साथ ही इस खसरे में अपीलांट द्वारा बाड़बंदी कर रखी हैं व एक–एक पानी का टांका व पशु बाड़े बने हुए हैं। अपीलांट अति वृद्ध एवं अनपढ़ व्यक्ति हैं जिसे पढ़ना–लिखना नहीं आता हैं तथा दिखाई भी कम देता हैं, जो मात्र अपना अंगुठा करना जानता हैं। रेस्पोडेंट सं. 2से6 होशियार एवं प्रभावशाली व्यक्ति हैं एवं जिनका पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ अच्छा मेलजोल व प्रभाव हैं, ने अपीलांट को पेंशन दिलवाने का कहकर अपीलांट को विश्वास एवं धोखे से गलत विभाजन प्रस्ताव पर अंगूठा लगवा लिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की कोई स्वतंत्र सहमति नहीं थी। अपीलांट को इस बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकृति की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी एवं अपीलांट [illegible] आराजी पर भौतिक रूप से कब्जे काश्त अनुसार काबिज हैं। [illegible] दिन पूर्व रेस्पो0 सं. 3से5 द्वारा विवादित आराजी ख0नं0 406/282 में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर अपना कब्जा करने को प्रयासरत हुए एवं राजस्व रेकर्ड में तरमीम होने के तथ्य बताये, तब अपीलांट को आलौच्य बंटवाड़े की

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

जानकारी हुई। इस पर अपीलाधीन कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावजों की नकलें प्राप्त की तथा दस्तावेज मिलने पर सम्यक तत्परता से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो अन्दर मयाद शुमार की जाकर उल्लेखित आधार पर स्वीकार फरमाई जावें।

5. रेस्पोडेंट्स सं. 2से6 की आरे से अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई एवं निर्णय हेतु निवेदन किया गया । जिस पर अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट को मयाद प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रकट किया कि अपीलांट स्वंय की उपस्थिति एवं उसकी स्वतंत्र सहमति के आधार पर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश पारित किया गया हैं जिसकी जानकारी अपीलांट को तत्समय हो गई थी। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि का विभाजन कराने के उपरांत हर वर्ष इस पर कृषि ऋण प्राप्त करता आ रहा हैं एवं भूमि सुधार के समस्त उपाय किये जा रहे हैं। अपीलांट की ओर से एक बार विभाजन इकरारनामा पर सहमति प्रदान करने के बाद पुनः उसके विपरित कथन करने से विबंधित हैं। इसके अलावा भी यदि अपीलांट उक्त विभाजन पत्र छल एवं धोखे से निष्पादित करवाया जाना मानता हैं तो अब तक उसके द्वारा इस संबंध में कोई विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की हैं। अपील प्रस्तुत करने के साथ ही मयाद के प्रार्थना पत्र में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब को ठोस एवं तथ्यात्मक कारण स्पष्ट करना आवश्यक हैं जबकि हस्तगत अपील एवं मयाद प्रार्थना पत्र में कोई ठोस आधार उल्लेखित नहीं किया गया हैं। लिहाजा धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलांट की यह अपील मयाद के बिन्दु पर खारिज होने से खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2015 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि उक्त विभाजन के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ छाप अंकित कराये गये हैं। अपीलांट स्वंय ने अन्य पक्षकारान के साथ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। पक्षकारान द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 5 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु पेश कर रहे हैं, जबकि धारा 225 के तहत अपील हेतु निर्धारित मयाद अवधि 30 दिवस ही हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल–कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं तथा न [illegible] 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र में कोई [illegible] कारण प्रकट किया है। परिणामस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद विधि के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नही होने एवं सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested